दिल्ली की वर्तमान विधायी व्यवस्था

संविधान की धारा 239एए में, जो 01.02.1992 को अस्तित्व में आई, यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की एक विधान सभा होगी। विधान सभा की पहली बैठक दिनांक 14.12.1993 को हुई थी।

विधान सभा में 70 सदस्य हैं, जो 70 विधान चुनाव क्षेत्रों से सीधे चुने जाते हैं। इस समय विधान सभा में 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। संविधान में व्यवस्था है कि मंत्रिमंडल की संख्या विधान सभा की सदस्य संख्या के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। अतः दिल्ली के मंत्रिमंडल में सात सदस्य हैं।

विधान सभा के पास प्रविष्टि 1 (सार्वजनिक व्यवस्था), 2 (पुलिस) और 18 (भूमि) व राज्य सूची की उक्त प्रविष्टियों से जोड़ी जा सकने वाली प्रविष्टियों 64, 65 व 66 के अतिरिक्त राज्य सूची या समवर्ती सूची के सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है।

राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत कार्य करते हैं। मुख्य मंत्री और उनकी परिषद उपराज्यपाल को उन मामलों के कार्य निष्पादन में सहायता व परामर्श देती है, जिनमें राज्य विधान सभा को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है।

उपराज्यपाल को विधान सभा आहूत, स्थगित व भंग करने का अधिकार है। वह विधान सभा को संबोधित भी कर सकते हैं या उसे अपना संदेश भेज सकते हैं। उपराज्यपाल प्रत्येक आम चुनाव के बाद विधान सभा के पहले सत्र को और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र को संबोधित करते हैं।

विधान सभा एक विशेषाधिकारयुक्त संस्था है और इसके सदस्यों को सदन में अभिव्यक्ति और मताधिकार की स्वतंत्रता है। दिल्ली विधान सभा के सदस्यों को वे सभी विशेषाधिकार और शक्तियाँ प्राप्त हैं जो संसद सदस्यों को प्राप्त हैं। दिल्ली विधान सभा की कार्यवाही पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। साथ ही, पीठासीन अधिकारी या वह सदस्य, जिसमें प्रक्रिया या कार्यों को संचालित करने की शक्तियाँ निहित हैं, अपनी शक्तियों के प्रयोग के संबंध में किसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विषय नहीं होगा।

अन्य राज्य विधान सभाओं व संसद की भाँति दिल्ली विधान सभा के सदस्यों को भी भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार प्राप्त है। उन पर संविधान की दसवीं अनुसूची भी लागू होती है, जिसमें दलबदल के आधार पर अयोग्यता का प्रावधान है। छठी विधान सभा के दौरान 5 सदस्यों को संविधान की दसवीं अनुसूची के अंतर्गत अयोग्य घोषित किया गया था।

विधान सभा का कार्यकाल पाँच वर्ष का है, परंतु मुख्यमंत्री के परामर्श पर उपराज्यपाल इसे कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी भंग कर सकते हैं। संविधान की धारा 356 के अंतर्गत राज्य में संवैधानिक व्यवस्था की विफलता की स्थिति में इसे राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है।

PRESENT STRUCTURE OF DELHI LEGISLATURE

Article 239AA of the Constitution of India which came into effect from 01.02.1992, provided that there shall be a Legislative Assembly for the National Capital Territory of Delhi. The first sitting of the Assembly was held on 14.12.1993.

The Assembly consists of 70 Members – all chosen by direct election from as many constituencies. At present 12 seats in the Assembly are reserved for Scheduled Castes. The Constitution lays down that the strength of the Council of Ministers shall not be more than ten percent of the total number of members in the Assembly. Thus, there are Seven Ministers in the Delhi Cabinet

The Assembly has the power to make laws with respect to all the matters in the State List or in the Concurrent List of the Constitution of India except Entries 1 (Public Order), 2 (Police), and 18 (Land), and entries 64, 65 and 66 relatable to the said entries of the State List.

The President appoints the Chief Minister and on the advice of the Chief Minister appoints other Ministers. The Ministers hold office during the pleasure of the President. The Chief Minister and her/his Council aids and advises the Lieutenant Governor in the exercise of his functions in relation to matters with respect to which the Legislative Assembly has power to make laws.

The Lieutenant Governor has the power to summon, prorogue or dissolve the Assembly. He can also address the Assembly or send messages to it. The Lieutenant Governor addresses the first session of the Assembly after each general elections and the first session of each year.

The Assembly is a privileged body and its members enjoy the freedom of speech in the House as well as freedom to vote. The Members of the Delhi Assembly have all the powers and privileges, which are enjoyed by the Members of Parliament. The proceedings of the Assembly cannot be called in question in the Court of Law. Also the Member or the Presiding Officer in whom powers are vested for regulating the procedure or conduct of business is not subject to the jurisdiction of Courts in respect of exercise of those powers by him.

Like members of other State Legislatures and Parliament, the members of Delhi Assembly are also empowered to vote in the election of the President of India. They are also subject to the Tenth Schedule of the Constitution, which contains provisions as to disqualification on grounds of defection. During the Sixth Assembly 5 members have been disqualified under the Tenth Schedule of the Constitution.

The tenure of Legislative Assembly is five years, but the Lieutenant Governor can dissolve it before the completion of its term on the advice of Chief Minister. It may be dissolved by the President in case of failure of constitutional machinery in the State under Article 356 of the Constitution.

संविधान की धारा 352 के अंतर्गत आपातकाल घोषित किए जाने की स्थिति में विधान सभा का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है, जो एक बार में एक वर्ष से अधिक का नहीं होगा।

विधान सभा के सदस्य अपने पीठासीन अधिकारी का चुनाव करते हैं। पीठासीन अधिकारी को अध्यक्ष कहा जाता है। अध्यक्ष सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है और इसकी कार्यवाही का संचालन करता है। वह सदन में व्यवस्था बनाए रखता है और सदस्यों को प्रश्न पूछने और बोलने की अनुमति देता है। वह बिल और अन्य विधेयकों को वोटिंग के लिए प्रस्तुत करता है और वोटिंग के परिणाम की घोषणा करता है। सामान्यतः वोटिंग के दौरान अध्यक्ष अपना मत नहीं डालता, परंतु दोनों पक्षों के मत समान होने की स्थिति में अपना निर्णायक मत दे सकता है।

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठकों की अध्यक्षता करता है। उसका चुनाव भी विधान सभा द्वारा अपने सदस्यों में से किया जाता है।

राज्य विधान सभा के सत्र

सामान्यतः राज्य विधान सभा का सत्र वर्ष में कम–से–कम तीन बार होता है और दो सत्रों के बीच का अंतर छह महीने से अधिक नहीं हो सकता। उपराज्यपाल राज्य विधान सभा के सत्रों को आहूत एवं स्थगित करता है। वह प्रत्येक आम चुनाव के बाद राज्य विधान सभा के प्रथम सत्र और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंभ में विधान सभा को संबोधित करता है। यह संबोधन सरकार की नीतियों को प्रदर्शित करता है, जिस पर विधान सभा में चर्चा होती है।

चुनाव

दिल्ली विधान सभा के आरंभ से अब तक सात आम चुनाव हो चुके हैं। प्रत्येक विधान सभा का विवरण नीचे दिया जा रहा हैः

दिल्ली विधान सभा का प्रारंभ से अब तक का कार्यकाल (1993 से 2020)

क्र.सं.	विधान सभा	प्रारंभ होने की तिथि	विघटन की तिथि	कुल सत्र	कुल बैठकें
1.	पहली	14.12.1993	30.11.1998	16	130
2.	दूसरी	14.12.1998	05.12.2003	16	106
3.	तीसरी	18.12.2003	08.12.2008	14	104
4.	चौथी	18.12.2008	08.12.2013	14	104
5.	पाँचवीं	01.01.2014	04.11.2014*	01	07
6.	छठी	23.02.2015	11.02.2020	08	106
7.	सातवीं	24.02.2020	-	01	06**

* मंत्रिमंडल के त्यागपत्र और राष्ट्रपति शासन लगने के कारण विधान सभा भंग हो गयी।

** दिनाँक 30.11.2020 तक।

In case of proclamation of emergency (under Article 352), the Assembly can extend the term of the Legislative Assembly for a period not exceeding one year at a time.

The Members of Legislative Assembly elect their Presiding Officer. The Presiding Officer is known as the Speaker. The Speaker presides over the meetings of the House and conducts its proceedings. He maintains order in the House, allows the Members to ask questions and speak. He puts bills and other measures to vote and announces the result of voting. The Speaker does not ordinarily vote at the time of voting. However, he may exercise casting vote in case of a tie.

The Deputy Speaker presides over the meeting during the absence of the Speaker. He/She is also elected by the Assembly from amongst its members.

Sessions of the State Legislature

The State Legislature normally, meets at least thrice a year and the interval between two sessions cannot be more than six months. The Lieutenant Governor summons and prorogues the sessions of State Legislature. He addresses the Legislative Assembly at the commencement of the first session after each general election and at the commencement of the first session of the year. This address reflects the policy statement of the government which is to be discussed in the Legislature.

Elections

Since the inception of Delhi Legislative Assembly, seven general elections have been held. Detail of each Assembly is given below:

Tenure of Delhi Legislative Assembly since its inception (1993 – 2020)

S. No.	Assembly	Date of Commence-ment	Date of Dissolution	Total No. Sessions	Total No. Sittings
1.	First	14.12.1993	30.11.1998	16	130
2.	Second	14.12.1998	05.12.2003	16	106
3.	Third	18.12.2003	08.12.2008	14	104
4.	Fourth	18.12.2008	08.12.2013	14	104
5.	Fifth	01.01.2014	04.11.2014*	01	07
6.	Sixth	23.02.2015	11.02.2020	08	106
7.	Seventh	24.02.2020	-	01	06**

* Assembly dissolved due to resignation of Cabinet and Imposition of President Rule.

** As on 30.11.2020

पीठासीन अधिकारी

विधान सभा का प्रमुख स्पीकर अर्थात अध्यक्ष होता है और प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा अथवा अध्यक्षता के लिए सक्षम किसी अन्य सदस्य द्वारा की जाती है। माननीय अध्यक्ष और माननीय उपाध्यक्ष का चयन सदन के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

अध्यक्ष और विधान सभा में उनका कार्यकाल

क्र. सं.	माननीय अध्यक्ष का नाम	अवधि
1.	श्री चरती लाल गोयल	16.12.1993 से 14.12.1998
2.	चौधरी प्रेम सिंह	14.12.1998 से 17.06.2003
3.	श्री सुभाष चोपड़ा	03.07.2003 से 17.12.2003
4.	श्री अजय माकन	17.12.2003 से 28.05.2004
5.	चौधरी प्रेम सिंह	20.07.2004 से 15.12.2008
6.	डॉ. योगानन्द शास्त्री	19.12.2008 से 31.12.2013
7.	सरदार मनिंदर सिंह धीर	03.01.2014 से 23.02.2015
8.	श्री राम निवास गोयल	23.02.2015 से 24.02.2020
9.	श्री राम निवास गोयल	24.02.2020 से अब तक

उपाध्यक्ष और विधानसभा में उनका कार्यकाल

क्र.सं.	माननीय उपाध्यक्ष का नाम	अवधि
1.	श्री आलोक कुमार	17.12.1993 से 25.09. 1994
2.	चौधरी फतेह सिंह	11.08.1995 से 25.11.1998
3.	श्रीमती किरण चौधरी	07.04.1999 से 07.11.2003
4.	श्रीमती कृष्णा तीरथ	23.12.2003 से 28.06.2004
5.	श्री शुऐब इकबाल	23.07.2004 से 07.11.2008
6.	श्री अमरीश सिंह गौतम	23.12.2008 से 08.12.2013
7.	श्रीमती बंदना कुमारी	23.02.2015 से 04.06.2016
8.	कुमारी राखी बिरला	10.06.2016 से 11.02.2020
9.	कुमारी राखी बिरला	26.02.2020 से अब तक

Presiding Officers

Assembly is headed by the Speaker and every sitting of the Assembly is presided over by the Speaker or any other Member competent to preside over. The Hon'ble Speaker and Hon'ble Deputy Speaker are elected by the Members of the House.

Speakers and their tenure in the Assembly

S. No.	Name of Hon'ble Speaker	Period
1.	Sh. Charti Lal Goyal	16.12.1993 to 14.12.1998
2.	Ch. Prem Singh	14.12.1998 to 17.06.2003
3.	Sh. Subhash Chopra	03.07.2003 to 17.12.2003
4.	Sh. Ajay Maken	17.12.2003 to 28.05.2004
5.	Ch. Prem Singh	20.07.2004 to 15.12.2008
6.	Dr. Yoganand Shastri	19.12.2008 to 31.12.2013
7.	Sardar Maninder Singh Dhir	03.01.2014 to 23.02.2015
8.	Sh. Ram Niwas Goel	23.02.2015 to 24.02.2020
9.	Sh. Ram Niwas Goel	24.02.2020 to date

Deputy Speakers and their tenure in the Assembly

S. No.	Name of Hon'ble Deputy Speaker	Period
1.	Sh. Alok Kumar	17.12.1993 to 25.09. 1994
2.	Ch. Fateh Singh	11.08.1995 to 25.11.1998
3.	Smt. Kiran Chaudhary	07.04.1999 to 07.11.2003
4.	Smt. Krishna Tirath	23.12.2003 to 28.06.2004
5.	Sh. Shoaib Iqbal	23.07.2004 to 07.11.2008
6.	Sh. Amrish Singh Gautam	23.12.2008 to 08.12.2013
7.	Smt. Bandana Kumari	23.02.2015 to 04.06.2016
8.	Km. Rakhi Birla	10.06.2016 to 11.02.2020
9.	Km. Rakhi Birla	26.02.2020 to date

दिल्ली के मुख्यमंत्री

क्र.सं.	नाम	से	तक	राजनीतिक दल
1.	श्री मदन लाल खुराना	1993	1996	भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)
2.	श्री साहिब सिंह वर्मा	1996	1998	भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)
3.	श्रीमती सुषमा स्वराज	1998	1998	भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)
4.	श्रीमती शीला दीक्षित	1998	2003	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी)
5.	श्रीमती शीला दीक्षित	2003	2008	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी)
6.	श्रीमती शीला दीक्षित	2008	2013	भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी)
7.	श्री अरविंद केजरीवाल	2013	2014	आम आदमी पार्टी (एएपी)
8.	श्री अरविंद केजरीवाल	2015	2020	आम आदमी पार्टी (एएपी)
9.	श्री अरविंद केजरीवाल	2020		आम आदमी पार्टी (एएपी)

दिल्ली विधान सभा के सचिव

क्र.सं.	नाम	अवधि
1.	श्री पी.एन. गुप्ता	01.01.1994 से 28.02.1999
2.	श्री एस.के. शर्मा	01.03.1999 से 21.02.2002
3.	श्री सिद्धार्थ राव	21.02.2002 से 16.05.2010
4.	श्री पी.एन. मिश्रा	17.05.2010 से 31.03.2014
5.	श्री एल.आर. गर्ग	21.05.2014 से 21.04.2015
6.	श्री पी.आर. मीणा	21.04.2015 से 17.07.2015
7.	श्री प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा	17.07.2015 से 26.02.2018
8.	श्री सी. वेलमुरुगन	15.03.2018 से अब तक

सत्ताधारी दल के मुख्य सचेतकः वर्तमान में केवल सत्ताधारी दल के मुख्य सचेतक को ही मान्यता प्राप्त है और उन्हें माननीय मंत्रियों के समान वेतन, भत्ते व सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं। विधान सभा के सदस्य, जो बहुमत दल द्वारा घोषित और माननीय अध्यक्ष द्वारा एतद्संबंधी मान्यता प्राप्त हों, मुख्य सचेतक होते हैं। वर्तमान में श्री दिलीप पाण्डेय (आम आदमी पार्टी) 11.03.2020 से मुख्य सचेतक हैं।

Chief Ministers of Delhi

S. No.	Name	From	To	Political Party
1.	Sh. Madan Lal Khurana	1993	1996	Bhartiya Janata Party (BJP)
2.	Sh. Sahib Singh Verma	1996	1998	Bhartiya Janata Party (BJP)
3.	Smt. Sushma Swaraj	1998	1998	Bhartiya Janata Party (BJP)
4.	Smt. Shiela Dikshit	1998	2003	Indian National Congress (INC)
5.	Smt. Shiela Dikshit	2003	2008	Indian National Congress (INC)
6.	Smt. Shiela Dikshit	2008	2013	Indian National Congress (INC)
7.	Sh. Arvind Kejriwal	2013	2014	Aam Aadmi Party (AAP)
8.	Sh. Arvind Kejriwal	2015	2020	Aam Aadmi Party (AAP)
9.	Sh. Arvind Kejriwal	2020		Aam Aadmi Party (AAP)

Secretaries of Delhi Legislative Assembly

S.No.	Name	Period
1.	Sh. P.N. Gupta	01.01.1994 to 28.02.1999
2.	Sh. S.K. Sharma	01.03.1999 to 21.02.2002
3.	Sh. Siddharath Rao	21.02.2002 to 16.05.2010
4.	Sh. P.N. Mishra	17.05.2010 to 31.03.2014
5.	Sh. L.R.. Garg	21.05.2014 to 21.04.2015
6.	Sh P.R. Meena	21.04.2015 to 17.07.2015
7.	Sh. Prasanna Kumar Suryadevara	17.07.2015 to 26.02.2018
8.	Sh. C. Velmurugan	15.03.2018 to date

Chief Whip of the Ruling Party: Presently only the Chief Whip of the Ruling Party is recognized and provided salary, allowances and facilities at par with Hon'ble Ministers. The Chief Whip is a Member of the Legislative Assembly declared by the majority party and recognized as such by the Hon'ble Speaker. Shri Dilip Pandey (AAP) is the present Chief Whip (11.03.2020 onwards).

नेता प्रतिपक्षः विधान सभा के सदस्य, जो सदन में सरकार के सर्वाधिक संख्या वाले विपक्षी दल के नेता हैं और जिन्हें माननीय अध्यक्ष ने एतद्संबंधी मान्यता प्रदान की है। नेता विपक्ष को भी माननीय मंत्रियों के समान वेतन, भत्ते व सुविधाएँ मिलती हैं। भारतीय जनता पार्टी के श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी वर्तमान में नेता विपक्ष हैं (28.02.2020 से अब तक)।

Leader of Opposition: The Member of Legislative Assembly, who is the Leader in the House of the party in opposition to the Government having the greatest numerical strength and recognized as such by the Hon'ble Speaker. The Leader of Opposition also draws salary, allowances and facilities at par with the Hon'ble Ministers. Shri Ramvir Singh Bidhuri (BJP) is the present Leader of Opposition (28.02.2020 to date).

समिति व्यवस्था

आज की परिस्थितियों में सरकारी गतिविधियों के व्यापक कार्यक्षेत्र और उसके महत्व के कारण विधान सभा/विधायिका का जोर विधिनिर्माण के स्थान पर प्रशासन के निरीक्षण और नियंत्रण की ओर हो गया है। यह केवल विधान सभा/राज्य विधायिका द्वारा धनराशियों को स्वीकृत किए जाने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि यह सुनिश्चित करने की ओर भी हो गया है कि धनराशि का खर्च विधायिका द्वारा स्वीकृत योजनाओं और कार्यक्रमों पर विवेकपूर्ण और निर्दिष्ट तरीके से हो और इन कार्यक्रमों में अंतिर्निहित उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। हालाँकि एक संस्था के रूप में विधान सभा/राज्य विधायिका इस स्थिति में नहीं होती है कि इस विस्तृत कार्य को स्वयं कर सके और न ही यह व्यावहारिक रूप से संभव ही होता है। वस्तुतः विधान सभा सदन के समय का उपयोग छोटी–छोटी बारीकियों पर खर्च नहीं कर सकती और न ही ऐसा करने के लिए उसके पास पर्याप्त समय होता है। अतः विधान सभा के निरीक्षण को प्रभावी और सार्थक बनाने के लिए उपयुक्त तंत्र की आवश्यकता होती है। समितियों का गठन विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। सरकारी प्रक्रियाओं के साथ अधिक लोगों को जोड़ने के अतिरिक्त ये समितियाँ सरकारी कार्यपद्धति पर नज़र रखने और निर्देशित करने हेतु अनुभव व विशेषज्ञता के प्रयोग में भी सहायक होती हैं। अतः इन समितियों को 'लघु–सदन' या 'शाश्वत–सदन' भी कहा जाता है।

प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के आरंभ में और उसके बाद प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने से पहले अथवा समय–समय पर जब जैसी आवश्यकता हो, किसी विशिष्ट या सामान्य उद्देश्यों से सदन की विभिन्न समितियाँ या तो सदन द्वारा चुनी जाती हैं अथवा उन्हें माननीय अध्यक्ष द्वारा नामांकित किया जाता है।

वर्तमान में दिल्ली विधान सभा में 33 समितियाँ कार्यरत हैं।

क्र. सं.	समिति का नाम
1.	कार्य मंत्रणा समिति
2.	नियम समिति
3.	विशेषाधिकार समिति
4.	अनूसूचित जाति / जनजाति कल्याण समिति
5.	अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति
6.	गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों व संकल्पों संबंधी समिति
7.	सामान्य प्रयोजन समिति
8.	पुस्तकालय समिति
9.	प्रश्न एवं संदर्भ समिति

COMMITTEE SYSTEM

The enormous range and magnitude of the government activities in the present day State has led Assembly/Legislatures to shift emphasis from lawmaking activities to supervision/ control of the administration. This is not limited only to the voting of moneys by the Assembly/ State Legislatures but also extends to ensure that expenditure is incurred in a prudent and specified manner on plans and programmes approved by the Legislature and that the objectives underlying these programmes are achieved. Assembly/ State Legislature as a body, however, is not in a position to undertake this stupendous task on its own nor it is practically possible. As a matter of fact, it cannot use the floor time for minute details nor it has enough time for doing so. Therefore, to make Assembly surveillance effective and more meaningful, suitable machinery is required. The Committees are constituted to ensure this accountability of the Executive to the Legislature. Besides, enabling more people to become associated with the governmental processes, these also help in making use of the experience and expertise in guiding and supervising the government's functioning. These Committees are, therefore, referred to as "House in Miniature" or "House in Perpetuity"

At the commencement of the first session after each general election and thereafter before the commencement of each financial year or from time to time when the occasion otherwise arises, different Committees of the House for specific, or general purposes are either elected by the House or nominated by Hon'ble Speaker.

Presently 33 Committees are Functioning in Delhi Legislative Assembly

S.NO.	NAME OF COMMITTEE
1.	Business Advisory Committee
2.	Rules Committee
3.	Committee of Privileges
4.	Committee on Welfare of SC/STs
5.	Committee on Welfare of Other Backward Classes
6.	Private Members' Bills & Resolutions Committee
7.	General Purposes Committee
8.	Library Committee
9.	Questions & Reference Committee

10.	सरकारी आश्वासन समिति
11.	याचिका समिति
12.	प्रतिनिहित विधायन समिति
13.	सदन पटल पर प्रस्तुत पत्रों संबंधी समिति
14.	महिला एवं बाल कल्याण समिति
15.	पर्यावरण समिति
16.	सदस्यों के वेतन व भत्तों से संबंधित सदन की समिति
17.	आचरण समिति
18.	अल्पसंख्यक कल्याण समिति
19.	छात्र एवं युवा कल्याण समिति
20.	अनधिकृत कॉलोनियों से संबंधित मामलों की समिति
21.	सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रोटोकॉल मानकों के उल्लघंन और विधायकों के साथ अवमाननाजनक व्यवहार के संबंध में समिति
22.	शांति और सद्भाव संबंधी समिति
23.	दिल्ली के नगर निगमों पर सदन की समिति
	वित्तीय समितियाँ
24.	लोक लेखा समिति
25.	सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति
26.	प्राक्कलन समिति
	विभागों से संबंधित स्थायी समितियाँ (डीआरएससी)
27.	प्रशासनिक मामलों पर डीआरएससी
28.	शिक्षा पर डीआरएससी
29.	कल्याण पर डीआरएससी
30.	स्वास्थ्य पर डीआरएससी
31.	विकास पर डीआरएससी
32.	जनोपयोगी सेवाओं व नागरिक सुविधाओं पर डीआरएससी
33.	वित्त एवं परिवहन पर डीआरएससी

10.	Committee on Government Assurances
11.	Committee on Petitions
12.	Committee on Delegated Legislation
13.	Committee on Papers Laid on The Table
14.	Committee on Woman and Child Welfare
15.	Committee on Environment
16.	Committee on Salary and Other Allowances of Members of Delhi Legislative Assembly
17.	Committee on Ethics
18.	Committee on Welfare of Minorities
19.	Committee on Welfare of Students & Youth
20.	Committee on Unauthorised Colonies
21.	House Committee on Protocol Norms and Contemptuous Behaviour by Government Officers with MLAs
22.	Committee on Peace and Harmony
23-	House Committee on Municipal Corporation in Delhi
	Financial Committees
24.	Committee on Public Accounts
25.	Committee on Govt. Undertakings
26.	Committee on Estimates
	Department Related Standing Committees (DRSC)
27.	DRSC on Administrative matters
28.	DRSC on Education
29.	DRSC on Welfare
30.	DRSC on Health
31.	DRSC on Development
32.	DRSC on Public Utilities and Civic Amenities
33.	DRSC on Finance and Transport

विधान सभा सदस्यों को उपलब्ध सुविधाएँ

(क)

मंत्री/अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/नेता प्रतिपक्ष/मुख्य सचेतक के वेतन एवं भत्ते (04.11.2011 से)

1.	**वेतन**	20,000/– रु. प्रतिमाह
2.	**निर्वाचन क्षेत्र भत्ता**	18,000/– रु. प्रतिमाह
3.	**सत्कार भत्ता**	4,000/– रु. प्रतिमाह
4.	**दैनिक भत्ता**	रु. 1000/– प्रतिदिन (पूरे कार्यकाल के दौरान)
5.	**आवास के बिजली शुल्क की प्रतिपूर्ति**	मुख्यमंत्री : अधिकतम 5000 यूनिट तक प्रतिमाह खर्च। अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/मंत्रीगण : अधिकतम 3000 यूनिट तक प्रतिमाह खर्च।
6.	**यात्रा सुविधाएँ**	स्वयं तथा अपने परिवार के सदस्यों के लिए भारत में यात्रा पर वास्तविक व्यय धनराशि का अधिकतम रु. 50,000/– तक।
7.	**आवास सुविधा**	रु. 20,000/– प्रतिमाह तक का निःशुल्क सुसज्जित आवास अथवा स्वयं के निजी आवास का करयोग्य मूल्य या किराया अथवा सदस्य द्वारा दिया जा रहा किराया, जो भी कम हो।
8.	**वाहन**	प्रतिमाह 700 लीटर तक के निःशुल्क पेट्रोल के साथ चालक की सुविधा सहित निःशुल्क मोटर कार का उपयोग। अपनी निजी कार का उपयोग करने की स्थिति में रु. 2,000/– प्रतिमाह का वाहन भत्ता देय।
9.	**चिकित्सा सुविधाएँ**	सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी अस्पतालों, पैनल के अन्य सभी या रैफरल एम्पैनल अस्पतालों अथवा समय–समय पर संशोधित मेडीकल अटैंडेंस नियमावली तथा डीजीईएचएस के अंतर्गत सरकार द्वारा ऐसे घोषित अस्पतालों में प्राथमि. कता के आधार पर, निःशुल्क इलाज अथवा प्रतिपूर्ति, जैसा

FACILITIES EXTENDED TO THE MEMBERS OF THE ASSEMBLY

(A)

Salary & Allowances of Minister/Speaker/Dy. Speaker

Leader of Opposition/Chief Whip w.e.f. 04.11.2011

1.	**Salary**	Rupees 20,000/- per mensem
2.	**Constituency Allowance**	Rupees 18,000/- per mensem
3.	**Sumptuary Allowance**	Rupees 4,000/- per mensem
4.	**Daily Allowance**	Rupees 1000/-for each day for whole of the term.
5.	**Reimbursement of electricity charges at residences**	Chief Minister : 5000 units per month Speaker/Dy. Speaker/Minister : 3000 units per month
6.	**Travelling facilities**	Each shall be entitled to the reimbursement of actual expenditure annually up to a maximum of Rs. 50,000/- on travel within India for self and members of the family.
7.	**Residence facility**	Rent free furnished residence or Rs. 20,000/- per month or rateable value of his own house or the rent paid by him, whichever is the least.
8.	**Conveyance**	Free use of a Motor Car with services of a Chauffeur and petrol for the car upto a maximum of 700 ltrs. per month. In case of use of his own motor car is opted, will be entitled to conveyance allowance of Rs. 2000 per month.
9.	**Medical facilities**	Free medical treatment and/or reimbursement and free accommodation in all hospitals run by the Govt. and all other panel or referral hospitals empanelled or declared as such by the Govt. in accordance with the Medical Attendance Rules and the DGEHS as amended from time to time on priority basis as available to Group-A Officers of the highest grade of the Government, provided that a compulsory monthly contribution shall be levied from every Minister at the same rate as

		ग्रुप 'ए' के अधिकतम ग्रेड के अधिकारियों को उपलब्ध है, बशर्ते प्रत्येक विधायक से अनिवार्य मासिक अंशदान उसी दर से लिया जाए जो ग्रुप 'ए' के अधिकतम ग्रेड के सरकारी अधिकारियों पर लागू होता है और जिसे विधायक के मासिक वेतन बिल में से वसूल किया जाएगा।
10.	**डाटा एंट्री ऑपरेटर के वेतन की प्रतिपूर्ति**	रू. 30,000/– मासिक (दो डेटा ऑपरेटर्स के लिए रु. 15,000/– प्रति माह प्रति व्यक्ति की दर से देय।)

(ख)

विधायकों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाएँ (04.11.2011 से)

1.	**वेतन**	रु. 12,000/– प्रतिमाह
2.	**निर्वाचन क्षेत्र भत्ता**	रु. 18,000/– प्रतिमाह
3.	**सचिवालय भत्ता**	रु. 10,000/– प्रतिमाह
4.	**वाहन भत्ता**	रु. 6,000/– प्रतिमाह
5.	**दूरभाष भत्ता**	रु. 8,000/– प्रतिमाह टेलीफोन कॉल्स का खर्चा वहन करने हेतु।
6.	**दैनिक भत्ता**	रु. 1,000/– प्रति दिन (अधिकतम 40 दिन प्रतिवर्ष)
7.	**वाहन हेतु अग्रिम राशि**	रु. 4,00,000/– तक (अपने कार्यकाल के दौरान वापस करना होगा।)
8.	**चिकित्सा सुविधाएं**	सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी अस्पतालों, सभी अन्य पैनल के या रैफरल एम्पैनल अस्पतालों, अथवा समय–समय पर संशोधित मेडीकल अटैंडेंस नियमावली तथा डीजीईएचएस के अंतर्गत सरकार द्वारा ऐसे घोषित अस्पतालों में प्राथमिकता के आधार पर, निःशुल्क इलाज अथवा प्रतिप. ूर्ति, जैसा ग्रुप 'ए' के अधिकतम ग्रेड के अधिकारियों को

		would be payable by a Group-A officer of the highest grade of the Government which shall be recoverable from the monthly salary bill of the Minister.
10.	**Reimbursement of Data Entry Operator's Salary**	Rs. 30,000/- pre mensem (Reimbursable for two Data Entry Operators @ Rs. 15,000/- p.m. to each)

(B)

Salary, Allowances and other Amenities to M.L.A. (s) w.e.f. 04.11.2011

1.	**Salary**	Rupees 12,000/- per mensem
2.	**Constituency Allowance**	Rupees 18,000/- per mensem
3.	**Secretarial Allowance**	Rs. 10,000/- per mensem
4.	**Conveyance Allowance**	Rs. 6,000/- per mensem
5.	**Telephone Allowance**	Rs. 8,000/- per month to meet the cost of telephone call charges
6.	**Daily Allowance**	Rs. 1,000/- per day (subject to a maximum up to 40 days per year) for attending Assembly session/committee meetings etc.
7.	**Conveyance Advance**	Upto Rs. 4,00,000/- (repayable within his office term)
8.	**Medical facilities**	Free medical treatment and/or reimbursement and free accommodation in all hospitals run by the Govt. and all other panel or referral hospitals empanelled or declared as such by the Govt. in accordance with the Medical Attendance Rules and the DGEHS as amended from time to time on priority basis as available to Group-A Officers of the highest grade of the Government, provided

उपलब्ध है, बशर्ते प्रत्येक विधायक से अनिवार्य मासिक अंशदान उसी दर से लिया जाए जो ग्रुप 'ए' के अधिकतम ग्रेड के सरकारी अधिकारियों पर लागू होता है और जिसे विधायक के मासिक वेतन बिल में से वसूल किया जाएगा।

9. पेंशन

प्रत्येक भूतपूर्व सदस्य जो या रा.रा.क्षे. दिल्ली की विधान सभा का सदस्य रहा हो, या भूतपूर्व दिल्ली महानगर परिषद का सदस्य रहा हो या पहले की दिल्ली राज्य विधान सभा का सदस्य रहा हो, अपनी सदस्यता की प्रथम अवधि के लिए रु. 7,500/– प्रतिमाह पेन्शन का अधिकारी होगा और उसके बाद, प्रथम कार्यकाल के अलावा प्रत्येक सदस्यता वर्ष के लिए रु. 1,000/– प्रतिमाह अतिरिक्त राशि का अधिकारी होगा।

10. पारिवारिक पेंशन

अपने कार्यकाल के दौरान किसी सदस्य की मृत्यु होने की स्थिति में, अथवा किसी भूतपूर्व सदस्य (दिल्ली महानगर परिषद, पूर्व दिल्ली राज्य विधान सभा के सदस्यों सहित) की मृत्यु होने की स्थिति में सदस्य की पेन्शन उसके जीवित जीवनसाथी को उसकी पूरी जीवनावधि तक, जब तक वह पुनर्विवाह न कर ले और उसकी मृत्यु के बाद उस पर निर्भर बच्चों को, जब तक वे निर्भर बने रहते हैं, बशर्ते कि पारिवारिक पेन्शन उस पेन्शन राशि की आधी होगी जो वह सदस्य सेवानिवृत्त होने के बाद प्राप्त करता। ऐसी पारिवारिक पेन्शन किसी ऐसे निर्भर (डिपेंडेंट) को नहीं मिलेगी जो वर्तमान में सदस्य हो या धारा 9 के अंतर्गत पेन्शन प्राप्त कर रहा हो।

11. बिजली एवं पानी शुल्क

मासिक बिजली एवं पानी उपयोग की राशि की प्रतिपूर्ति, अधिकतम रु. 4,000/– प्रतिमाह तक।

12. यात्रा सुविधाएँ

स्वयं व अपने परिवार के आश्रित सदस्यों के लिए भारत में यात्रा पर वास्तविक खर्चे के अधिकतम रु. 50,000/– वार्षिक तक प्रतिपूर्ति।

		that a compulsory monthly contribution shall be levied from every MLA at the same rate as would be payable by a Group-A officer of the highest grade of the Government which shall be recoverable from the monthly salary bill of the MLA.
9.	**Pension**	Every ex-Member who has served as Member either of the Legislative Assembly of NCT of Delhi or Member of the erstwhile Metropolitan Council of Delhi or of the erstwhile Delhi State Legislative Assembly as the case may be, shall be entitled for pension of Rs. 7,500/- p.m. for the first term of his membership and an additional pension of Rs. 1,000 p.m. for every successive year of his membership beyond the first term.
10.	**Family Pension**	After the death of a member during his term of office or an Ex-Member (including Ex-Member of erstwhile Metropolitan Council of Delhi and Ex-Member of erstwhile Delhi State Legislative Assembly), pension shall be payable to the surviving spouse during the remaining period of life of such spouse until he/she does not remarry and after his/her death to his/her dependent children so long as such dependent continues to be a dependent, provided that family pension shall be equivalent to one-half of the pension which such Ex-member would have received had he/she retired. Provided that no such family pension shall be payable to a dependent if such dependent is a sitting member or is drawing pension under section 9.
11.	**Elect. & Water Charges**	Rs. 4,000/- per month for the residence (Reimbursement) (Maximum limit)
12.	**Travelling facilities**	Reimbursement of actual expenditure annually up to maximum of Rs. 50,000/- on a travel within India for self and dependent members of the family.

13.	**डाटा एंट्री ऑपरेटर के वेतन की प्रतिपूर्ति**	रू. 30,000/– मासिक (दो डेटा ऑपरेटर्स के लिए रूपये 15,000/– प्रति माह प्रति व्यक्ति की दर से देय।)

विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधिः भारत सरकार ने ''संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना'' तैयार की है जिसके अंतर्गत सांसद अपने चुनाव क्षेत्र में किए जाने वाले कार्यों की अनुशंसा कर सकते हैं। क्योंकि विधायकों के पास भी उनके क्षेत्रवासी अक्सर 'कैपिटल नेचर' के छोटे–छोटे कामों के लिए आते हैं, अतः दिल्ली सरकार ने भी संसद–सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की तर्ज पर एक योजना बनायी है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 1994-95 में हुई थी जबकि इस योजना के अंतर्गत एक करोड़ की निधि प्रति विधायक प्रति वर्ष थी। कुछ अनुभव होने के बाद सरकार ने इस योजना को संशोधित करने का निर्णय किया और वर्ष 1999-2000 से निधि को रु. 1.40 करोड़ प्रति विधायक प्रति वर्ष कर दिया। वित्तीय वर्ष 2000-2001 से धनराशि की सीमा 1.40 करोड़ से बढ़ाकर 1.90 करोड़ प्रति विधायक प्रति वर्ष कर दी गई। वर्ष 2004-05 से इस सीमा को और बढ़ाकर रु. 2 करोड़ कर दिया गया और 2011-12 से इस सीमा को और बढ़ाकर 4 करोड़ कर दिया गया। वित्तीय वर्ष 2018-19 से इस सीमा को पुनः रु. 10 करोड़ तक बढ़ा दिया गया। ''प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में मूलभूत ढाँचे की सुविधाओं को विकसित एवं सुदृढ़ करने'' की इस योजना, जिसे आमतौर पर 'एमएलएलैड' कहते हैं, के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने चुनाव क्षेत्र में एक साल में अधिकतम 4 करोड़ रु. तक के कैपिटल नेचर के छोटे कार्य करवाए जाने की अनुशंसा कर सकता है, जिसमें कोई एक कार्य दो करोड़ से अधिक का न हो। इस निधि के लिए प्रशासनिक विभाग दिल्ली सरकार का शहरी विकास विभाग है।

13.	**Reimbursement of Data Entry Operator's (Salary)**	Rs. 30,000/- per mensem (Reimbursable for two Data Entry Operators @ Rs. 15,000/- p.m. to each)

MLA Local Area Development Fund: The Government of India had framed "Member of Parliament Local Area Development Scheme" under which MPs can recommend works to be carried out in their constituencies. Since the MLAs are also frequently approached by their constituents for carrying out small works of capital nature, the Govt. of Delhi has framed a scheme along the pattern of the MPs Local Area Development Scheme. The scheme was started in the year 1994-95 when the fund under the scheme was Rs.1.00 crore per MLA per year. After gaining some experience the Govt. decided to revise the scheme & increase the fund to Rs.1.40 crore per MLA per year w.e.f. 1999-2000. From the financial year 2000-01 the limit of Rs.1.40 crore has been raised to Rs.1.90 crore per MLA. And from 2004-05, the limit has been further increased to Rs.2.00 crore and w.e.f 2011-12 the limit has been further increased to Rs. 4 crore. This limit was again increased to Rs. 10 crore w.e.f. the financial year 2018-19. Under this scheme of "Strengthening and Augmentation of Infrastructure facilities in each Assembly Constituency", commonly known as MLALAD's each MLA can suggest small works of capital nature to be done in their constituencies upto the tune of Rs.4.00 crores in a year with each individual project not exceeding Rs.2 crore. The Urban Development Department of the Government of Delhi is the Administrative Department for this Fund.

डिजिटाइजेशन एवं सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

डिज़िटाइजेशन प्रक्रिया व आई.टी. सेवाएँः विधान सभा सचिवालय का यह प्रयास रहा है कि माननीय सदस्यों और आम जनता के लाभ के लिए डिज़िटाइजेशन प्रक्रिया तथा सूचना तकनीक (आईटी) सेवाओं का तेज़ी से विस्तार एवं प्रसार किया जाए। प्रत्येक सदस्य को प्रिंटर के साथ लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर खरीदने के लिए एक लाख रुपए तक की प्रतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है।

सामान्य प्रयोजन समिति ने ई–विधान परियोजना लागू किए जाने का अध्ययन करने के लिए हिमाचल प्रदेश की विधान सभा का दौरा किया, ताकि दिल्ली विधान सभा को 'पेपरलेस' बनाया जा सके। सामान्य प्रयोजन समिति की एतद्संबंधी रिपोर्ट को दिल्ली विधान सभा ने स्वीकार कर लिया और राष्ट्रीय सूचना केन्द्र और दिल्ली सरकार के आई.टी. विभाग की सहायता से इस परियोजना के शीघ्र ही कार्यान्वित होने की आशा है।

सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारणः विधान सभा की वेबसाइट delhiassembly.nic.in के साथ–साथ यू–ट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर सदन की समस्त कार्यवाही का सीधा वेबकास्ट किया जाता है।

सत्र की अवधि के दौरान सभी टेलीविज़न चैनलों को एच डी गुणवत्ता का फीड (5 कैमरों का सेटअप) भी निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है।

सोशल मीडियाः सोशल मीडिया पर दिल्ली विधान सभा की अच्छी–खासी उपस्थिति है। उद्देश्य यह है कि विधान सभा से संबंधित जानकारी का प्रसार विभिन्न हितधारकों तक त्वरित एवं पारदर्शी तरीके से हो। दिल्ली विधान सभा की वेबसाइट पर सभी प्रासंगिक जानकारी तथा अद्यतन सूचनाएँ होती हैं, जो माननीय सदस्यों, अधिकारियों, जनता तथा शोधार्थियों के लिए उपयोगी होती हैं। दिल्ली विधान सभा के विभिन्न सोशल एकाउंट्स की जानकारी इस प्रकार हैः

वेबसाइट	:	delhiassembly.nic.in
ईमेल	:	assemblydelhi@gmail.com
फेसबुक	:	/dvsdelhi
ट्विटर	:	@DelhiAssembly
यूट्यूब	:	Delhi Assembly Television

Digitization Process & Live Telecast of Proceedings

Digitization Process & IT Services: It has been the endeavor of the Assembly Secretariat to expeditiously extend and expand the digitization process and IT Services for the benefit of the Hon'ble Members and the general public. Each Member is provided with reimbursement of expense up to Rs. One Lakh for purchase of a laptop or desktop computer with printer.

The General Purposes Committee visited the Himachal Pradesh Legislative Assembly to study the implementation of e-Vidhan project with a view to make the Delhi Legislative Assembly a 'paperless Assembly'. The Report of the General Purposes Committee in this regard was adopted by the Delhi Legislative Assembly and the project is expected to be executed shortly with the help of National Informatics Centre and IT Department of the Delhi Government.

Live Telecast of House Proceedings: All the proceedings of the House Proceedings are webcast live on its website – delhiassembly.nic.in besides YouTube, Twitter and Facebook.

HD Quality feed (5 Camera Set up) is also made available to all the television channels for telecast during the session period free of cost.

Social Media: The Delhi Legislative Assembly has a heavy footprint on the social media. The objective is to disseminate information relating to the Assembly in a transparent and prompt method to the various stakeholders. The website of the Assembly contains all the relevant and up-to-date information, useful for the Hon'ble Members, Officers, Public and research enthusiasts. The various social account details of the Delhi Legislative Assembly are:

Website	:	delhiassembly.nic.in
Email	:	assemblydelhi@gmail.com
Facebook	:	/dvsdelhi
Twitter	:	@DelhiAssembly
YouTube	:	Delhi Assembly Television